झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका सं० - 589/2023

सुनील कुमार सुल्तानिया, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता - स्व.महावीर प्रसाद सुल्तानिया, निवासी - ग्राम+डाकघर - बदररुआं, थाना+तहसील -रारौन, जिला - मयूरभंज (ओडिशा) ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य।
2. पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डाकघर+थाना - चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम।
3. प्रभारी अधिकारी, मझगांव पुलिस स्टेशन, डाकघर+थाना - मझगांव, जिला- पश्चिमी सिंहभूम। ..... **प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता के लिए: श्री नीलेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: सुश्री ओमिया अनुषा, ए.सी टू ए.ए.जी - ।ए

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका (आपराधिक) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रमाण पत्र की प्रकृति में उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है ताकि मझगांव थाना कांड संख्या 17/2023 में विद्वान एसीजेएम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 12.06.2023 के आदेश और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा दिनांक 22.07.2023 के आदेश को रद्द किया जा सके, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की अपनी जब्त की गई 21,67,360/- रुपये की धनराशि को छोड़ने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता श्री गणेश एंटरप्राइजेज (ट्रेडर्स) नामक प्रोपराइटरशिप फर्म का मालिक है, जिसका मझगांव थाना केस नंबर 17/2023 का सूचक योगेंद्र कामिला एक कर्मचारी था। उक्त मझगांव थाना केस नंबर 17/2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत किया गया था। उक्त मझगांव पी.एस. केस नंबर 17/2023 की लिखित रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि सूचक ने याचिकाकर्ता की ओर से 22,22,520/- रुपये एकत्र किए और जब वह उक्त धन के साथ एक स्कॉर्पियो वाहन में यात्रा कर रहा था, तो लूट की घटना घटी। एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस ने लूटी गई राशि में से 21,67,360/- रुपये और जीपीएस लगा हुआ बैग जिसमें पैसा रखा हुआ था, बरामद कर लिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नकदी सहित लूटी गई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली गई है तथा याचिकाकर्ता के पुत्र के पक्ष में उसे मुक्त कर दिया गया है; जिसके नाम पर यह पंजीकृत है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मामले के संबंध में पुलिस द्वारा बरामद की गई राशि 21,67,360/- रुपये कुल लूटी गई राशि 22,22,520/- रुपये में से है। याचिकाकर्ता ने मामले के सूचक योगेंद्र कामिला द्वारा उसकी ओर से विभिन्न दुकानदारों से एकत्र की गई राशि का विवरण दिखाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता किराना वस्तुओं का थोक विक्रेता था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि याचिकाकर्ता उक्त राशि का मालिक है तथा इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मझगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चाईबासा को प्रस्तुत की है।

5. उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखी जाए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता से संबंधित जब्त लूटी गई राशि को छोड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार करना कानून के अधिदेश के खिलाफ है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने **सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 283** के मामले में माना है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि दिनांक 04.10.2023 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने नकदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जब्त की गई राशि को बैंक खाते में या अन्य उचित स्थान पर जमा करने का निर्देश दिया था और दिनांक 04.10.2023 के आदेश के तहत इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निर्देश दिया था कि संबंधित पुलिस स्टेशन को दो दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। अंत में यह दलील दी गई कि मझगांव पी.एस. केस संख्या 17/2023 में विद्वान ए.सी.जे.एम., चाईबासा द्वारा दिनांक 12.06.2023 को पारित आदेश और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा दिनांक 22.07.2023 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए और आई.ओ. को निर्देश देकर परमादेश रिट जारी की जाए। मामले के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उचित पंचनामा बनाने तथा दो जमानतदारों के साथ 21,67,360 रुपए की राशि जमा करने के लिए क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता के पक्ष में 21,67,360/- रुपए जारी करने का आदेश दिया गया है, जिसमें यह वचन दिया गया है कि यदि और जब विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

8. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी कि राज्य को याचिकाकर्ता के पक्ष में उक्त 21,67,360/- रुपये जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता उक्त राशि के संबंध में दो जमानतदारों के साथ क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करे कि यदि और जब ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता को उक्त राशि जमा करने का निर्देश देता है, तो याचिकाकर्ता उक्त राशि अदालत में जमा कर देगा।

9. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब्त की गई धनराशि याचिकाकर्ता की है, जिसे याचिकाकर्ता के कर्मचारी योगेंद्र कामिला से लूटा गया था। विद्वान ए.सी.जे.एम., चाईबासा ने मझगांव थाना कांड संख्या 17/2023 के संबंध में

अपने आदेश दिनांक 12.06.2023 में उक्त धनराशि को जारी करने की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रसीदें विभिन्न दुकान मालिकों द्वारा जारी की गई थीं, जो उनके नियमित व्यापारिक लेनदेन में दी गई थीं और वही राशि नकद दी गई थी, हालांकि उक्त व्यापारिक लेनदेन चेक के माध्यम से किया जाना था। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट के अलावा, याचिकाकर्ता के पक्ष में बड़ी राशि के वैध लेनदेन के लिए कोई अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है और यह सबूत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और परीक्षण के समय इसकी आवश्यकता है। इसलिए, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के विद्वान सत्र न्यायाधीश के अनुसार, जब्त की गई राशि को छोड़ने के लिए प्रार्थना को खारिज करने में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है, इसलिए, उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 को खारिज कर दिया है।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं; निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की ओर से सूचक योगेंद्र कामिला ने मामले के आरोपियों द्वारा सूचक योगेंद्र कामिला से स्कॉर्पियो गाड़ी सहित लूटी गई 22,22,520/- रुपए की राशि वसूल की तथा जिस बैग में राशि रखी गई थी, उसमें लगे जीपीएस टैग के आधार पर 21,67,360/- रुपए की राशि बरामद की गई है। मामले के जांच अधिकारी ने इस संबंध में विद्वान ए.सी.जे.एम. चाईबासा को रिपोर्ट समर्पित की है, जिसकी प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई है। जब्त राशि पर याचिकाकर्ता के अलावा कोई अन्य दावेदार नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस आशय के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि कुल राशि किससे और कैसे वसूल की गई। जांच अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। राज्य को याचिकाकर्ता के पक्ष में राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि पैसा पहले ही बैंक खाते में जमा किया जा चुका है, इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं है कि जब्त किया गया पैसा सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि एक बार जब पैसा बैंक के नियमित कारोबार के क्रम में बैंक में जमा हो जाता है; जैसा कि इस मामले में किया गया है, तो निश्चित रूप से मूल्यवर्ग और नोटों की संख्या समान

नहीं होगी, यदि उक्त राशि बैंक से निकाली जाती है, क्योंकि बैंक को अपनी नकदी का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, एक बार बैंक खाते में जमा होने के बाद अपनी पसंद के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि मझगांव थाना कांड संख्या 17/2023 में विद्वान ए.सी.जे.एम., चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 12.06.2023 का आदेश तथा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 22.07.2023 का आदेश कानून की दृष्टि से संधारणीय नहीं है तथा इन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, मझगांव थाना कांड संख्या 17/2023 में विद्वान ए.सी.जे.एम., चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 12.06.2023 के आदेश तथा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 22.07.2023 के आदेश को निरस्त करने के लिए एक रिट जारी की जाए तथा मझगांव थाना कांड संख्या 17/2023 के जांच अधिकारी को निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ए.सी.जे.एम. की अदालत में 21,67,360/- रुपये का क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर उसे याचिकाकर्ता के बैंक खाते में उचित बैंक लिखतों के माध्यम से स्थानांतरित करके राशि जारी कर दे। चाईबासा में दो सॉल्वेंट जमानतदारों के साथ यह वचन देते हुए कि वह 21,67,360 रुपए की राशि विद्वान ए.सी.जे.एम. चाईबासा की अदालत में जमा कर देगा, यदि और जब ए.सी.जे.एम. चाईबासा या कोई अन्य सक्षम अदालत याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित अदालत में उक्त राशि जमा करने का निर्देश देती है।

13. इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है।

14. तदनुसार आदेश दें।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 29 नवंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।